

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-41/2012-

/क०, पटना, दिनांक 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अखलेश्वर राय,
मेसर्स महाबीर बजरंग एग्रो केमिकल्स प्रा० लि०,
इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, बेला मुजफ्फरपुर,

विषय :- कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या 26 दिनांक 02.09.2013 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन कोषागार चलान एवं सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित सूची अनुसार कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या-26 दिनांक 02.09.2013 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है साथ ही 10 नये उत्पादों का इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Cartap Hydrochloride 50% SP	5	Hexaconazole 5% EC
2	Chlorpyrifos 10% GR	6	Cartap Hydrochloride 4% GR
3	Carbofuran 3% CG	7	carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
4	Glyphosate 41% SL	8	Mancozeb 75% WP

इन्डोर्समेन्ट

1	Sulphur 85% D.P	6	Dimethoate 30% EC
2	Phorate 10% C.G	7	Sulphur 80% WP
3	Malathion 5% DP	8	Alphamethrin 10% EC
4	Fenvalerate 0.4% DP	9	Cypermethrin 25% EC
5	Chlorpyrifos 20% EC	10	Cypermethrin 10% EC

2- यह आदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों का विनिर्माण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

3 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी का विनिर्माण सर्वथा वर्जित होगा।

4- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक तथा प्रतिबंधित कीटनाशियों का विनिर्माण तुरंत बंद कर देना होगा।

5- विनिर्माण अनुज्ञप्ति में वर्णित कीटनाशी का विपणन/बिक्री उन्ही फसलों के लिए की जायेगी जिन फसलों के लिए CIB & RC द्वारा Lable Claim की स्वीकृति दी गई है। किसानों के बिच उक्त कीटनाशी के उपयोग की जानकारी समग्र रूप से दे दी जाय।

6- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को भी इसकी प्रति दी जाय।

7- मूल अनुज्ञप्ति संख्या-26 दिनांक 02.09.2013 इसके साथ संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/क०, पटना, दिनांक 16.09.2015

ज्ञापांक 2276

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।